FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ......

आसुराम बनाम कानाराम

किस्म मुकदमा अस्थाई आदेश नं. 303/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/1/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/1/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील के बावजूद अनुपस्थित। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के पाटों और पक्के रास्ते स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अस्थाई आदेश जारी किया जावे। अतः प्रार्थी का अस्थाई आवेदन स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की अस्थाई मौके पर शुरू करवाकर को। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 128

दिनांक:– 14/2/18

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. आसुराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी लीलाला, बायतु पनजी तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. कानाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 23 निवासी लीलाला, बायतु पनजी तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 303 / 17

आदेश

मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 374 / 73 रकबा 42.01 बीघा व मौजा लीलाला पटवार मण्डल बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 488 / 166 रकबा 35.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 129 to 133

दिनांक:–

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री आसुराम पुत्र ताजाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री कानाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 23।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner